

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश
एल०डी०ए० कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।
दिनांक::लखनऊ::२७ जून, 2017

आहरण वितरण अधिकारी

मुख्यालय लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-556/12-3-17-100(36)/2017 दिनांक 02 जून, 2017 के द्वारा रू० 524.34 लाख की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं०-11 के लेखा शीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0203-रेशम उत्पादन की योजनायें की परियोजना 1-(Modernization and Strengthening of Infrastructure of Quality Silk Production) एवं 2-परियोजना (Creation of Infrastructure and narrowing gap in Silk Production and Demand) योजना के अन्तर्गत जारी की गयी है। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 02-06-2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू० 5,24,34,000.00 (रूपये पाँच करोड चौबीस लाख चौतीस हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है :-

1. योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं०-746/74-2016-07(ब)/2013 दिनांक 21.07.2016 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था "उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०" को नियमानुसार उक्त धनराशि आहरित कर उपलब्ध करायी जाएगी।
2. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य अनुमोदित कार्य योजना तथा रेशम विकास अनुभाग 30प्र० शासन द्वारा अनुमोदित आगणन के अनुसार किया जाएगा। योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व जिन जनपदों जहाँ निर्माण कार्य प्रस्तावित है वहाँ के उप/सहायक निदेशक, रेशम का होगा।
3. स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी /सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है, ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली




धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश सं0-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 07.11.2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

4. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाएगा जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जाएगा। यदि किसी मद में व्यय करने ही अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाए।
5. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
6. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
7. उपर्युक्त योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्य योजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जाएगा।
8. संबंधित उप/सहायक निदेशक, रेशम जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का Impact Assessment कराया जाएगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण निदेशक, रेशम के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाए।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजनान्तर्गत पूर्व स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त दो समान किस्तों में किया जाएगा। प्रथम किस्त की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय होने के उपरान्त द्वितीय किस्त आहरित की जाएगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत विगत में निर्गत धनराशि का मद वार व्यय सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।



10. स्वीकृत की गयी धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-11 के लेखा शीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0203-रेशम उत्पादन की योजनायें के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं०-11 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-60 पर कर ली गई है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


(पी०सी० चौधरी)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक 08 सेरी०/लेखा/आयो० बजट/2017-18 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि-निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र० इलाहाबाद।
3. निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, 30प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी- जवाहर भवन लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी आर०के०वी०वाई०, कृषि भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 30प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
7. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
8. वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।
9. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय 30प्र० लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


(पी०सी० चौधरी)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक ७९ /सेरी०/लेखा/आयो० बजट/२०१७-१८ दिनांक: २१ जून, २०१७ का अनुलग्नक
 अनुदान संख्या-११- के लेखा शीर्षक -४४०१-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 ८००-अन्य व्यय- ०२-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-०२०३-रेशम उत्पादन की योजनायें

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	आवृत्त धनराशि		योग	पूर्व में धनराशि	प्रगामी योग	
				२४-वृहद निर्माण कार्य	२६- मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र				
१		२	३	४	५	६	७	८	९
१	उप निदेशक, रेशम	रेशम निदेशालय, मुख्यालय, लखनऊ	जवाहर भवन, लखनऊ		३३९३४०००	१८५०००००	५२४३४०००	०	५२४३४०००
	योग				३३९३४०००	१८५०००००	५२४३४०००	०	५२४३४०००

(रूपये पाँच करोड़ चौबीस लाख चौतीस हजार मात्र)

तेरह अंको का कोड नम्बर

४	४	०	१	८	०	०	०	२	०	२	०	३
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


 (पॉसि० चौधरी)
 वित्त नियंत्रक